आवश्यक

संख्या:75/2021/2168/12-2-2021-60(51)/2018

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, नैफेड, नैफेड हाऊस, सिद्धार्थ इन्क्लेव, रिंग रोड, आश्रम चौक, नई दिल्ली-110014
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
4. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ,
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ,
9. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0यू0 (यू0 पी0 कोआपरेटिव यूनियन लि0), लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 18 अक्टूबर, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य में प्राइस सपोर्ट स्कीम (पी0एस0एस0) के खरीफ 2021-22 सीजन में मूंग, उर्द, तिल तथा मूंगफली की खरीद पी0एस0एस0 गाइड-लाइन्स 2018 के तहत किए जाने हेतु फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फॉरमर्स प्रोड्यूसर कम्पनीज (एफ0पी0सी0) को अधिकृत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सन्दर्भ में कृषि विभाग के शासनादेश संख्या: 66/2021/2078/12-2-2021-60(51)/2018, दिनॉक 06 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खरीफ 2021-22 सीजन में मूंग, उर्द, तिल तथा मूंगफली की खरीद पी0एस0एस0 गाइड-लाइन्स 2018 के तहत किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 06 अक्टूबर, 2021 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फॉरमर्स

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोड्यूसर कम्पनी (एफ0पी0सी0) को, भी दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्रय हेतु, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) फॉरमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफ0पी0ओ0) तथा फॉरमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफ0पी0सी0) उक्त फसलों के क्रय हेतु, आवश्यक व्यवस्था करने में आर्थिक रूप से सक्षम होनी चाहिए, तथा, उनके उप नियम (बाईलॉज) में खाद्यान्न की खरीद व बिक्री का कारोबार किए जाने का प्राविधान होना चाहिए।

(2) खाद्यान्न खरीद में जिन एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का संज्ञान है, उन्हें खरीद हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) उक्त संस्थाओं द्वारा कृषकों से दलहनी, तिलहनी फसलों के किए गए क्रय की समीक्षा जिलाधिकारी के स्तर से की जाएगी।

3. शासनादेश संख्या: 66/2021/2078/12-2-2021-60(51)/2018 दिनॉक 06 अक्टूबर, 2021 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4. कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:75/2021/2168(1)12-2-2021 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
2. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
4. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. सहायक आयुक्त (एमपीएस), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. शाखा प्रबन्धक, नैफेड, लखनऊ,
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in